बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 384536 ग्रा०वि०, पटना, दिनांकः- 16.08.18

ग्रा०वि०-10/बजट- 17/2018

प्रेषक,

राधा किशोर झा, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
समस्तीपुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, नवादा, नालंदा, पटना, कैमूर, दरभंगा, जमुई, रोहतास, मधेपुरा, पूर्णिया, सारण, जहानाबाद एवं मधुबनी ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में "बजट शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना" के अंतर्गत राशि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के "28 02 संविदा सेवाएं" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रूपये 4,02,58,000 (चार करोड़ दो लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है ।

2) यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998, 3244 दिनांक 04.05.18 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

3) प्रखंड स्थापना को छोड़कर अन्य किसी स्थापना अर्थात जिला / नजारत / अनुमंडल स्थापना के लिए इस शीर्ष में आवंटित राशि का उपावंटन नहीं किया जाय और आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जांच पड़ताल के बाद ही की जाय । यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

4) माननीय न्यायालय से संबंधित आदेश के कार्यान्वयन में सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर आवंटित राशि का व्यय किया जाय । न्यायालय संबंधी आदेश के कार्यान्वयन में शिथिलता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

5) यह राशि संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु आवंटित की जा रही है । समस्तीपुर, नालंदा, दरभंगा एवं पूर्णियां के लिए प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं सेवा निवृत्ति कर्मी, पटना, रोहतास, सारण, जहानाबाद एवं मधुबनी के लिए प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, नवादा, कैमूर एवं जमुई के लिए सेवानिवृत्त कर्मी हेतु राशि आवंटित है ।

6) कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ंग से हो सके ।

7) वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके । इस आवंटन के विरूद्ध वास्तविक व्यय का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान किया जाय ताकि विभागीय आंकड़ों एवं महालेखाकार के आंकड़ों में भिन्नता न हो ।

8) किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णत: सतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ।

9) इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है ।

10) आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है ।

11) इसकी मांग संख्या 42 एवं विपत्र कोड संख्या 42-2515001020001 है ।

12) इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 384536 ग्रा.वि.वि., पटना, दिनांक:- 16.08.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/08
सरकार के संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

विवरणी

वितीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–102–सामुदायिक विकास –0001–प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड–42–2515001020001 एवं मांग संख्या–42) के अंतर्गत आवंटित राशि

क्र०	जिला	28 02 संविदा सेवाएं	
1	2	3	
1	समस्तीपुर	7770000	(सतहत्तर लाख सत्तर हजार रूपये)
2	पश्चिम चम्पारण	2586000	(पच्चीस लाख छियासी हजार रूपये)
3	पूर्वी चम्पारण	2346000	(तेईस लाख छियालीस हजार रूपये)
4	नवादा	3000000	(तीस लाख रूपये)
5	नालंदा	5000000	(पचास लाख रूपये)
6	पटना	2832000	(अठाईस लाख बत्तीस हजार रूपये)
7	कैमूर	1552000	(पन्द्रह लाख बावन हजार रूपये)
8	दरभंगा	4000000	(चालीस लाख रूपये)
9	जमुई	1473000	(चौदह लाख तिहत्तर हजार रूपये)
10	रोहतास	1062000	(दस लाख बासठ हजार रूपये)
11	मधेपुरा	805000	(आठ लाख पांच हजार रूपये)
12	पूर्णियां	5000000	(पचास लाख रूपये)
13	सारण	708000	(सात लाख आठ हजार रूपये)
14	जहानाबाद	354000	(तीन लाख चौवन हजार रूपये)
15	मधुबनी	1770000	(सत्रह लाख सत्तर हजार रूपये)
योग		**40258000**	**(चार करोड़ दो लाख अंठावन हजार रूपये)**

(राधा किशोर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\A Ravi\Non-Plan\2515